25/5/12

झारखंड सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक: 3632(S)WE रॉंची, दिनांक 21.5.12

प्रेषक,

एन0 एन0 सिन्हा,
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
रा0उ0पथ उपभाग/
मुख्य अभियंता(या0),
झारखंड, रॉंची ।

10 एवं [illegible]
25/5/12

विषयः—राष्ट्रीय उच्च पथ, केन्द्रीय योजना/केन्द्रीय सम्पोषित योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में एकल निविदा की स्वीकृति के संबंध में ।

प्रसंगः—पथ परिवहन एवं उच्च पथ विभाग, पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक NH-14019/4/2008-P&M दिनांक 27.06.2008

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंग में निदेशानुसार सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र (प्रति अनुलग्न) द्वारा यह निदेश दिया गया है कि पहली बार में यदि एकल निविदा प्राप्त होती है तो उक्त निविदा को रद्द कर पुनः निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए । यदि पुनर्निविदा के पश्चात् भी एकल निविदा ही प्राप्त होती है तो राज्य लोक निर्माण विभाग एकल निविदा के स्वीकार करने के औचित्य से संतुष्ट होकर आंतरिक वित्तीय सलाहकार का परामर्श प्राप्त कर तथा सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन लेकर निविदा स्वीकृत कर सकता है । यदि निविदा मूल राशि से 5% से अनधिक है तो अन्य परिपत्रों अंतर्गत विहित शक्तियों के अधीन रहते हुए निविदा स्वीकृत की जा सकती है, किन्तु जहाँ निविदा राशि स्वीकृत मूल राशि के 5% से भी ज्यादा ऊपर हो एवं पुनरीक्षित प्राक्कलन भेजने की आवश्यकता हो, वहाँ निविदा के औचित्य से संतुष्ट होकर तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार का परामर्श प्राप्त कर प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए ।

उपर्युक्त प्रावधानों के विवरण से यह स्पष्ट होगा कि भारत सरकार द्वारा एकल निविदा के निष्पादन के लिए स्वतःपूर्ण एवं स्पष्ट निदेश दिये गये हैं । तदनुसार उपर्युक्त प्रक्रियाओं का पालन करते हुए एकल निविदा वाले मामलों का निष्पादन किया जाय ।

अनु0 : यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

NeW 21/5/2012

(एन0 एन0 सिन्हा),
सरकार के प्रधान सचिव ।

Sl. No. 1(I)

Government of India
Ministry of Shipping, Road Transport & Highways
Department of Road Transport & Highways
(Roads Wing)

Transport Bhavan,
No.1, Parliament Street,
New Delhi 110 001.

No.NH 14019/4/2008-P&M

Dated: 27.1/2008

To

(i) The Secretaries of State PWDs dealing with National Highways.
(ii) The Engineers-in-Chief/Chief Engineers of State PWDs dealing with National Highways.
(iii) The Chairman, NHAI
(iv) The Director General (Border Roads).

Sub:- Acceptance of single tenders for National Highways works.

Sir,

I am directed to say that as per the existing CVC guidelines, single tenders can be accepted only with detailed justification in support of the acceptance with the approval of Competent Authority including Associated Finance. In general, single tenders are not acceptable in the first instance. However, it has been observed that the State PWDs are accepting rates on the basis of single tenders without observing the prescribed procedure, which is a violation of CVC Guidelines (copy enclosed).

2. It is, therefore, decided that the State PWD may cancel the single tender received in the first call without opening the bid and re-invite the tender. If single tender is received, even after re-tendering, the State PWD may give the detailed justification in support of the single tender indicating the importance of the work and award the work after obtaining approval of the competent authority and consulting the internal finance within the delegated power to the State Governments (when the estimated cost based on tendered value is within 5% above the original sanction cost). However, in no case the negotiation with the tender should be resorted to.

3. In case where the estimate cost based on tendered value is beyond 5% the original sanctioned cost and where revised estimate is required to be submitted, the State PWD may follow the above procedure and obtain Ministry's approval for the Revised Cost Estimate before awarding the work.

4. This may be brought to the notice of all concerned for strict compliance.

Yours faithfully,

(K.R. Galli)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel: 23710450